रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062022-236820
CG-DL-E-25062022-236820

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 454] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 2022/ आषाढ़ 3, 1944
No. 454] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 2022/ASHADHA 3, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2022

सा.का.नि. 475(अ).— राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (ञ) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद् द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, स्वायत्त बोर्ड (चौथे सदस्य की नियुक्ति की रीति और अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अनुबंध एवं शर्तें, और आस्तियों, व्यावसायिक और वाणिज्यिक नियोजन की घोषणा) नियम, 2019 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः-

1. (1) इन नियमों को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, स्वायत्त बोर्ड (चौथे सदस्य की नियुक्ति की रीति और अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अनुबंध एवं शर्तें, और आस्तियों, व्यावसायिक और वाणिज्यिक नियोजन की घोषणा) (संशोधन) नियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों को 25 सितंबर, 2020 से प्रभावी माना जाएगा।।

2. "राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, स्वायत्त बोर्ड (चौथे सदस्य की नियुक्ति की रीति और अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अनुबंध एवं शर्तें, और आस्तियों, व्यावसायिक और वाणिज्यिक नियोजन की घोषणा) नियम, 2019" में नियम 9 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"(1) स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य, अंशदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 या कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, जैसा भी मामला हो, के उपबंधों द्वारा वहां शासित होंगे, जहां सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 के अधीन अंशदान का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।"

[फा. सं. वी. 11013/01/2022-एमईपी]

वी. हेकाली झिमोमी, संयुक्त सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन: नियम को पूर्वव्यापी तरीके से संशोधित किया जा रहा है ताकि जो कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आते हैं और 25 सितंबर, 2020 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में शामिल हुए हैं उनका कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान, पूर्वव्यापी रूप से जमा किया जा सके और इस तरह के पूर्वव्यापी संशोधन से कोई भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 12 सितंबर, 2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 647(अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2022

G.S.R. 475(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (j) and (k) of sub-section (2) of section 56 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Medical Commission, Autonomous Boards (Manner of Appointment of Fourth Member and the Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements of President and Members) Rules, 2019, namely:—

1. (1) These Rules may be called the National Medical Commission, Autonomous Boards (Manner of Appointment of Fourth Member and the Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements of President and Members) (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 25th September, 2020.

2. In the National Medical Commission, Autonomous Boards (Manner of Appointment of Fourth Member and the Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements of President and Members) Rules, 2019, in rule 9, for sub-rule(1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The President and whole-time Members of the Autonomous Boards shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962 or Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, as the case may be, where no option to subscribe under the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 is available".

[F. No. V.11013/01/2022-MEP]

V. HEKALI ZHIMOMI, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum:-The rule is being amended in retrospective manner so that Employees' Provident Fund contribution of the incumbents, who are covered under Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and joined National Medical Commission on the 25th September, 2020, may be deposited retrospectively and nobody would be adversely affected by such retrospective amendment.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R.647(E), dated the 12th September, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.06.25 19:42:26 +05'30'